

“Provided that such review shall be completed at least three months prior to expiry of the duty under review.”.

[F.No.334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

**Note:-** The principal rules were published *vide* notification number 2/1995-Customs (N.T), dated the 1st day of January, 1995, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1(E), dated the 1st day of January, 1995 and were last amended *vide* notification number 9/2020-Customs (N.T), dated the 2nd February, 2020, *vide* number G.S.R. 73(E), dated the 2nd February, 2020.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 11/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.)

**सा.का.नि. 76(अ).**—केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9 की उपधारा (7) और धारा 9ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा शुल्क टैरिफ (सहायकी वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा शुल्क टैरिफ (सहायकी वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) संशोधन नियम, 2021 है।
- (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये तारीख 2 फरवरी, 2021 से प्रवृत्त होंगे।
2. सीमा शुल्क टैरिफ (सहायकी वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 में –

(क) नियम 2 में, खंड (ख) में, “आयातक हैं,” शब्दों के पश्चात्, ‘और तब “घरेलू उद्योग” पद का निर्वचन शेष उत्पादकों को निर्दिष्ट करते हुए किया जा सकेगा’, शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) नियम 6 में, उप-नियम (4) में “सीमा शुल्क कलक्टर” शब्दों के स्थान पर, “यथास्थिति प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क अथवा आयुक्त सीमा शुल्क” शब्द रखे जाएंगे;

(ग) नियम 24 में, -

(i) 1 जुलाई, 2021 से, उप-नियम (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु नियम 19 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन के अधीन प्रतिशुल्क की समाप्ति के न्यूनतम तीन मास पूर्व पूरा किया जाएगा।”;

(ii) उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(5) उप-नियम (4) के अधीन, नियम 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 और 22 के उपबंध पुनर्विलोकन के मामले में यथाआवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।”;

(घ) नियम 26 में उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4क) केंद्रीय सरकार, अभिहित प्राधिकारी की सिफारिश पर, प्रवृत्त प्रति पाटित शुल्क के परिवंचित होने के अभिकथित वस्तु के आयातों के अनंतिम निर्धारण का अवलंब ले सकेगी और केंद्रीय सरकार, नियम 27 के उपनियम (3) के अधीन विनिश्चय किए जाने के समय तक आयातकर्ता से गारंटी की मांग कर सकेगी।”;

(ड) 1 जुलाई, 2021 से, नियम 28 में उप-नियम (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-  
“परन्तु ऐसा पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन के अधीन शुल्क की समाप्ति से न्यूनतम तीन मास पूर्व पूरा किया जाएगा।”।

[फा. सं. 334/2/2021-टी.आर.यू.]

राजीव रंजन, अवर सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम अधिसूचना सं0 1/1995-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 1 जनवरी, 1995 संख्यांक सा.का.नि. 2(अ) तारीख 1 जनवरी, 1995 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 10/2020-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) संख्यांक सा.का.नि 74(अ) तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा अंतिम रूप से संशोधन किए गए थे।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

#### No. 11/2021-Customs (NT)

**G.S.R. 76(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 9 and sub-section (2) of section 9B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, namely :-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Amendment Rules, 2021.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the 2nd February, 2021.
2. In the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995,-
  - (a) in rule 2, in clause (b), after the word “thereof”, the words ‘, the term "domestic industry" may be interpreted as referring to the rest of the producers’ shall be inserted;
  - (b) in rule 6, in sub-rule (4), for the words “Collector of Customs”, the words “Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be,” shall be substituted;
  - (c) in rule 24, -
    - (i) with effect from the 1st day of July, 2021, in sub-rule (4), the following proviso shall be inserted, namely: -  
“Provided that notwithstanding anything contained in rule 19, such review shall be completed at least three months prior to expiry of the countervailing duty under review.”;
    - (ii) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely-  
“(5) Subject to sub-rule (4), the provisions of rules 7,8,9,10,11,12,13,18,19,20,21 and 22 shall apply mutatis mutandis in case of review.”;
  - (d) in rule 26, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely: -  
“(4A) The Central Government may, on recommendation of the designated authority, resort to provisional assessment of the imports of the article alleged to be circumventing a countervailing duty in force and may ask a guarantee from the importer, till the time a decision under sub-rule (3) of rule 27 is taken by the Central Government.”;
  - (e) with effect from the 1st day of July, 2021, in rule 28, in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that such review shall be completed at least three months prior to expiry of the duty under review.”.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

**Note:-** The principal rules were published *vide* notification number 1/1995-Customs (N.T), dated the 1st day of January, 1995, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 2(E), dated the 1st day of January, 1995 and were last amended *vide* notification number 10/2020-Customs (N.T), dated the 2nd February, 2020, *vide* number G.S.R. 74(E), dated the 2nd February, 2020.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 12/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.)

**सा.का.नि. 77(अ).**—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 8ख की उपधारा (10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमाशुल्क टैरिफ (सुरक्षा शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियम, 1997 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क टैरिफ (सुरक्षा शुल्क की पहचान और निर्धारण) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये तारीख 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमाशुल्क टैरिफ (सुरक्षा शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियम, 1997 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 के उपनियम (1) में, “सुरक्षा शुल्क” शब्द के स्थान पर “सुरक्षा उपाय” शब्द रखा जाएगा।

3. उक्त नियम में, नियम 2 में –

(क) खंड (ख) में, शब्द “शुल्क” शब्द के स्थान पर, “उपाय” शब्द रखा जाएगा;

(ख) खंड (घ) के उपखंड (i) में, “शुल्क” शब्द के स्थान पर, “उपाय” शब्द रखा जाएगा;

(ग) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘(च) “अनंतिम उपाय” से अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (5) के अधीन अधिरोपित अनंतिम सुरक्षा उपाय अभिप्रेत है;’;

(घ) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(चक) “सुरक्षा उपाय” से अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित सुरक्षा शुल्क, या कोई टैरिफ दर कोटा या ऐसे अन्य उपाय, अभिप्रेत है;’;

(ड.) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(छक) “डब्ल्यूटीओ” से विश्व व्यापार संगठन अभिप्रेत है;’;

4. उक्त नियम के, नियम 3 में, दोनों स्थानों पर आने वाले “सुरक्षा” शब्द के स्थान पर “व्यापार उपचार” शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियम के नियम 4 में-

(क) खंड (2) में, “शुल्क” शब्द के स्थान पर “उपाय” शब्द रखा जाएगा ;

(ख) खंड (4) में:-

(i) दोनों स्थानों पर आने वाले “शुल्क” शब्द के स्थान पर “उपाय” शब्द रखा जाएगा ;